न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2712–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 9–6–2015 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 321/अपील/2012–13.

ध्रुव कुमार आत्मज बालकृष्ण अग्रवाल
निवासी हरदा
तहसील व जिला हरदा ....आवेदक

विरूद्ध

अशोक कुमार आत्मज चंद्रगोपाल अग्रवाल
निवासी मेन रोड, हरदा
तहसील व जिला हरदा ....अनावेदक

श्री नीलेश शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/3/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–6–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम देवास तहसील हंडिया स्थित भूमि सर्वे कमांक 23/2, 24/2 एवं 25/2 कुल रकबा 5.164 हेक्टेयर पर अतिरिक्त तहसीलदार, हंडिया द्वारा संशोधन पंजी की प्रविष्टि कमांक 120 में दिनांक 16–5–2005 को आदेश पारित कर अनावेदक के नाम नामांतरण स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, हरदा के समक्ष दिनांक 22–4–2013 को लगभग 8 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 9–7–2013 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की गई ।

अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 9–6–2015 को आदेश पारित कर अपील नस्तीबद्ध की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमि का एकमेव स्वत्वाधिकारी एवं आधिपत्यधारी आवेदक है, और प्रश्नाधीन भूमि का दिनांक 20–11–84 को विधिवत बटवारा होकर आवेदक अपनी भूमि पर काबिज है ।

(2) मार्च, 2013 के दूसरे सप्ताह में राजस्व अभिलेख देखने पर आवेदक को ज्ञात हुआ कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसके स्थान पर अनावेदक का नाम दर्ज हो गया है तब राजस्व अभिलेख खोज करने पर प्रथम बार दिनांक 18–3–2013 को उसे संशोधन पंजी की प्रविष्टि कमांक 120 पर पारित आदेश दिनांक 16–5–2005 की जानकारी हुई, अतः जानकारी के दिनांक से उसके द्वारा समय–सीमा में प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिसे अवधि बाह्य मानने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

(3) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया गया कि बना किसी दस्तावेज के प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण आवेदक के स्थान पर अनावेदक का कर दिया गया है, जो कि क्षेत्राधिकार रहित कार्यवाही है, और ऐसी अवैधानिक कार्यवाही को चुनौती देने के लिए समय–सीमा लागू नहीं होती है ।

(4) अनावेदक सेल टेक्स व इंकम टेक्स का अभिभाषक है, और उस पर विश्वास करके आवेदक हस्ताक्षर कर दिया करता था, जिसका लाभ उठाकर अनावेदक ने प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नामांतरण करा लिया गया है, अतः ऐसा आदेश विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) तहसील न्यायालय द्वारा पारिवारिक व्यवस्था पत्र के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया गया है, जबकि ऐसा कोई व्यवस्था पत्र निष्पादित ही नहीं हुआ है ।

(6) प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में उभयय पक्ष के मध्य व्यवहार वाद कमांक 56 अ/14 प्रचलित हुआ था, जिसमें दिनांक 30–7–2016 को आदेश पारित कर आवेदक के पक्ष में डिक्री पारित की गई है, और प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक को भूमिस्वामी माना गया है । इस आधार पर कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है ।

(7) वास्तव में वर्ष 2005 में कोई नामांतरण आदेश पारित ही नहीं हुआ है, क्योंकि खसरा वर्ष 2005 में प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के नाम दर्ज रहा है, और अचानक आवेदक के स्थान पर अनावेदक का नाम दर्ज कर दिया गया है, जो कि पूर्णतः आवेदक के विरूद्ध पीठ पीछे की गई अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है ।

तर्कों के समर्थन में 2008 आर.एन. 94 (उच्च न्यायालय), 1999 आर.एन. 80, 2007 आर.एन. 82, 2012 आर.एन. 118, 2001 आर.एन. 113, 2014 आर.एन. 361 (उच्चतम न्यायालय), 1995 आर.एन. 27, 1971 आर.एन. 93, 2002 आर.एन. 302 (उच्च न्यायालय), 2012 आर.एन. 261, एम.पी.एच.टी 2013 (1) पेज 469 (उच्च न्यायालय), ए.आई.आर. मद्रास 2001 पेज 135 एवं ए.आई.आर. 2006 पेज 666 (ए.पी.) के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन भूमियों पर अनावेदक ही कृषि कार्य करता चला आ रहा है, और उक्त भूमि संयुक्त परिवार की भूमियां है ।

(2) आवेदक द्वारा अपनी सहमति से ही प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराई गई है, जिस उनके हस्ताक्षर हैं ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा बिना किसी दस्तावेज के नामांतरण नहीं करने के कारण उभय पक्ष द्वारा व्यवस्था पत्र तैयार कर नोटरी से प्रमाणित करवाया गया है, जिस पर आवेदक के हस्ताक्षर है ।

(4) संशोधन पंजी की प्रविष्टि कमांक 120 पर आवेदक के पुत्र सुनील की सहमति से ही कार्यवाही की जाकर नामांतरण आदेश पारित किया गया है ।

(5) अनावेदक द्वारा आवेदक की जानकारी में बैंक से ऋण लेकर प्रश्नाधीन भूमि पर सागौन के वृक्ष लगाये गये हैं, और वृक्षों की कीमत बढ़ जाने के कारण आवेदक की बाद

की सोच के कारण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अत्यंत विलम्ब से अपील प्रस्तुत की गई थी, जिसे अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(6) तहसील न्यायालय के आदेश को आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय में चुनौती दी गई है, ऐसी स्थिति में आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत नहीं की जानी चाहिए थी, परन्तु आयुक्त के समक्ष कपटपूर्ण तरीके से अपील प्रस्तुत की गई है, और आयुक्त द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए अपील निरस्त की गई है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के समर्थन में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा केवल इस आधार पर उनके समक्ष प्रचलित अपील को नस्तीबद्ध किया गया है कि व्यवहार न्यायालय में वाद लम्बित है । आवेदक की ओर से तर्क के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 10–8–2016 को लम्बित सिविल वाद में आदेश पारित किया जा चुका है । ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण गुण–दोष पर आदेश पारित करने हेतु आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 9–6–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण आयुक्त को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में गुण–दोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर